मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2–121/2017/अ–तेहत्तर, भोपाल, दिनांकः 4 .12.2017

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषयः–मंत्रि–परिषद से अनुमोदित स्वरोजगार योजनाओं की मार्गदर्शिका।
संदर्भः–उद्योग संचालनालय की टीप क्रमांक 7283/स्वरो, दिनांक 10.11.2017

राज्य शासन एतद् आदेश से, विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 2–121/2017/अ–तेहत्तर, दिनांक 16.11.2017 से जारी आदेश की कण्डिका क्रमांक 3 के अनुक्रम में आपके द्वारा उक्त विषयक संदर्भित प्रस्ताव अनुसार ''मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना'' एवं ''मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना'' के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः संलग्न परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 अनुसार प्रक्रियाओं संबंधी मार्गदर्शिका हेतु अनुमोदन प्रदान करता है।

2/ वित्त विभाग द्वारा उनके यू.ओ. क्रमांक 669/आर–1086/ब 2–चार, दिनांक 04.12.2017 से उक्त प्रस्ताव हेतु सहमति प्रदान की गई है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(धनंजय सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2–121/2017/अ–तेहत्तर, भोपाल, दिनांकः 4 .12.2017

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

की ओर [illegible]

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

1. **योजना का नाम :** मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना।

2. **योजना का प्रारंभ :** 01 अगस्त, 2014 **(यथा संशोधित 16 नवम्बर, 2017)**

3. **योजना का उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा।

4. **योजना का क्रियान्वयन :** योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जावेगा।

5. **पात्रता :**

5.1 योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।

5.2 आवेदक :

5.2.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

5.2.2 न्यूनतम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

5.2.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।

5.2.4 आय सीमा का कोई बंधन नहीं परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।

5.2.5 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

5.2.6 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।

5.2.7 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

5.3 योजना केवल उद्योग(विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र है, के लिए मान्य होगी, परन्तु व्यापारिक गतिविधियां, समस्त प्रकार के वाहन, भैंस पालन, पशु पालन एवं कुक्कुट पालन संबंधी परियोजनाओं को पात्रता नहीं होगी।

6. **वित्तीय सहायता :**

6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 10 लाख से अधिकतम रुपये 02 करोड़ होगी।

6.2 इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 12 लाख) तथा BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 18 लाख) देय होगी।

6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से, अधिकतम 7 वर्ष तक (अधिकतम रुपये 5 लाख प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान देय होगा।

6.4 इस योजना के अंतर्गत गांरटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

7. आवेदन प्रक्रिया :

7.1 आवेदक द्वारा एमपी–ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सहपत्रों सहित ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। पूर्ण/अपूर्ण आवेदन की सूचना 15 दिवस के अन्दर आवेदक को दी जायेगी।

7.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।

8. आवेदन पत्रों का निराकरण :

8.1 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा बैंक में प्राप्त आवेदन पत्र तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन योजनान्तर्गत गठित जिला टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

8.2 आवेदन पत्रों निराकरण एवं समीक्षा के लिए निम्नानुसार जिला टास्कफोर्स समिति गठित होगी –

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
4.	कोई एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
5.	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान, इन्दौर का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
7.	संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि	सदस्य
8.	आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य–सचिव

टीप :– आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.3 जिला टास्कफोर्स समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणों को निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जावेगा।

8.4 उद्योग एवं सेवा संबंधी इकाई के लिए गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राईजेस) के माध्यम से दी जावेगी। अत: बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security) की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी।

8.5 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. RBI/FIDD/2017-18/56 Master Direction FIDD.MSME & NFS. 12/06.02.31/2017-18 दिनांक 24 जुलाई 2017 की कंडिका 5.4 में बैंकिंग कोड्स एण्ड स्टेण्डर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा (रु. 5 लाख तक का प्रकरण दो सप्ताह में, रु. 5 लाख से अधिक एवं रु. 25 लाख तक का प्रकरण तीन सप्ताह में तथा रु. 25 लाख से अधिक का प्रकरण छः सप्ताह में) के अन्तर्गत ही प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिये ।

8.6 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursement) प्रारंभ किया जावेगा।

8.7 योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय की समीक्षा जिला टास्कफोर्स समिति के द्वारा की जावेगी।

9. प्रशिक्षण :

9.1 योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण शासन के द्वारा दिया जावेगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।

9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित आवेदक को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा परन्तु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10. मार्जिनमनी सहायता एवं ऋण अदायगी :

10.1 सामान्य वर्ग हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 12 लाख) तथा BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 18 लाख) देय होगी तथा शेष मार्जिनमनी की राशि हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।

10.2 आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।

10.3 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।

टीप : आस्थगन के संबंध में बैंकों के द्वारा प्रयास होगा कि वे अधिक से अधिक समय नियत करें लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध में बैंकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिये और बैंकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिये कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक से अधिक हो अर्थात् 7 वर्ष तक हो।

11. वित्तीय प्रवाह :-

11.1 बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् परियोजना की पूंजीगत लागत पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि क्लेम की जायेगी। इस हेतु प्रदेश के लीड़ बैंकों के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जायेगी। बैंक योजनांतर्गत राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण संबंधित नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।

11.2 ऋण वितरण एवं इकाई स्थापित होने के पश्चात् उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

11.3 ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) के अन्तर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।

12 विविध :

12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है, परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्य के बीच मान्य नहीं होगी। समस्त भागीदारों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तो का पालन अनिवार्य होगा। सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।

12.2 बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है, जो ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) अंतर्गत मान्य हैं।

12.3 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।

12.4 हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनांतर्गत पूर्व में दी गई सहायता भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।

12.5 जिला टास्कफोर्स समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में विचार हेतु रखे जावेंगे।

12.6 योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग सक्षम होगा।

13 परिभाषायें :

13.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है ।

13.2 परियोजना की स्थापना में हितग्राही के अशंदान तथा शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा, मार्जिनमनी सहायता कहलाती है।

13.3 परियोजना में उपयोग किये जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य पूंजीगत लागत है । प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश से अभिप्रेत है, मशीनों और उद्योग द्वारा औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों में किया गया निवेश, मशीनों के परिवहन पर हुआ व्यय, मशीनों पर जीएसटी व अन्य कर (भूमि, भवन, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान व विकास उपकरण, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, स्टोरेज टैंक, गोदाम और अग्निशमन उपकरणों में किये गये व्यय को छोड़कर)।

13.4 क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राईजेस (CGTMSE) योजना अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा गारंटी शुल्क कहलाती है।

13.5 उद्यम प्रारंभ करने के 6 माह पश्चात, ऋण वसूली की कार्यवाही को आरंभिक स्थगन (Moratorium) कहलाती है।

13.6 **परिवार से आशय :**

13.6.1 आवेदक के अविवाहित होने पर माता–पिता एवं अविवाहित एवं आश्रित भाई–बहन से है ।

13.6.2 आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों से है ।

प्रपत्र-1

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

(रु. 10 लाख से 2.00 करोड़ तक की परियोजना हेतु आवेदन-पत्र)

फोटो

1.	आवेदक का पूरा नाम		: ....
2.	पिता/पति का नाम		: ....
3.	अ.	निवास स्थान एवं पत्राचार का पूर्ण पता	: ....
	ब.	दूरभाष/मोबाइल नम्बर	: ....
	स.	प्रस्तावित इकाई स्थल का पता	: ....
	द.	आवेदक का दूरभाष/मोबाइल नम्बर	: ....
4.	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)		: ....
5.	अ.	जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	: ....
	ब.	आवेदन दिनांक को उम्र	: वर्ष..............माह.............दिन................
6.	अ.	आवेदक की श्रेणी	
		(i) आवेदक बीपीएल श्रेणी में है	: हाँ/नहीं
		(ii) आवेदक का वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/अल्पसंख्यक/ नि:शक्तजन/विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुक्कड़ जनजाति)	
	ब.	लिंग (पुरूष/महिला)	: ....
7.	अ.	स्वयं एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का उद्योग/ व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होने संबंधी विवरण	: ....
	ब.	स्वयं एवं परिवार का विगत 03 वर्षों का आयकर संबंधी विवरण	: ....
8.	अ.	प्रस्तावित गतिविधि का नाम (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)	: ....
	ब.	परियोजना का प्रकार (विनिर्माण इकाई/सेवा इकाई)	: ....

9. अ. परियोजना लागत :

(i) भूमि/भवन (स्वयं/किराये पर) : ....

(ii) मशीन/उपकरण/साज–सज्जा : ....

(iii) कार्यशील पूंजी : ....

योग ....

ब. प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध

(i) मार्जिन मनी सहायता : ....

(ii) आवेदक का अंश दान : ....

(iii) बैंक से अपेक्षित ऋण राशि : ....

योग : ....

10. प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहाँ हितग्राही अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता है : ....

11. पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण : ....

12. अन्य कोई विवरण : ....

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

घोषणा

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु क्रमांक 1 से 12 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

[redacted]–पत्र [redacted]

[redacted] प्रतिवेद[redacted]

[redacted]ई निवास [redacted]

[redacted]संबंधी प्रम[redacted]

4. जन्मतिथि स[redacted] प्रमाण–[redacted]